18/05/2022 जायदाद (धारा 67) वकील द्वारा जयपुर शहर

अपील अधिनियम (धारा 67) प्रकरण
में कोई आपत्ति प्रस्तुत हुई। अतः उपलब्ध
दस्तावेजों के अनुसार/रजिस्ट्री अनुसार
बाकी का पत्र रजिस्ट्री स्वीकार किया
जाता है तथा मुतालिक रजिस्ट्री/दस्तावेज
के अनुसार/नियमानुसार नक्शे अनुसार
अलग-अलग खाता चालू किया जावे।
विद्युत कनेक्शन आवेदक लेखा अधिकारी
द्वारा किया जाया। रजिस्ट्री व नक्शे
नगर निगम को हस्तांतरण अर्थ
देवाना मुतालिक निर्माण अधिकारी
जारी की जावे। जायदाद पर नगर के
कानून के प्रावधान अनुसार प्रकरण सीलिंग
कार्यवाही करें।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.13 16:26:06 IST
Reason: SelfAttested